बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
अधिसूचना

संख्या–2/वन्यप्राणी–19/2020............../प०व०ज०प० **पटना–15, दिनांक** :.....................

पक्षियों के अवैध व्यापार की रोकथाम के लिए विभिन्न वन प्रमंडल पदाधिकारियों द्वारा समय–समय पर कार्रवाई की जाती है। परन्तु इसके लिए एक समेकित रणनीति बनाने की आवश्यकता है, ताकि कानूनी कार्रवाई के अलावे इस व्यापार में लगे हुए लोगों को विश्वास में लेकर उन्हें वैकल्पिक जीविका उपलब्ध कराने तथा लोगों के बीच में भी अवैध पक्षी व्यापार के संबंध में जागरूकता फैलाने की दिशा में सार्थक पहल की जा सके। इस संबंध में रणनीति बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार की अध्यक्षता में समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है:–

1	श्री प्रभात कुमार गुप्ता, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार	–	अध्यक्ष
2	श्री अभय कुमार, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, भागलपुर	–	सदस्य
3	श्री सुरेन्द्र सिंह, निदेशक, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	–	सदस्य
4	श्री गोपाल सिंह, वन संरक्षक, पटना	–	सदस्य
5	श्री एस० चन्द्रशेखर, वन संरक्षक, गया	–	सदस्य
6	श्री अरविन्द मिश्रा, मंदार नेचर क्लब,	–	सदस्य
7	श्री समीर सिन्हा, वाइल्ड लाईफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया	–	सदस्य

उक्त समिति के अध्यक्ष अन्य गैर–सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि अथवा पक्षियों के अवैध व्यापार से जुड़े हुए लोगों को अपने स्तर से विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बैठक में आमंत्रित करने हेतु तथा उनका सहयोग लेने हेतु अधिकृत होंगे।

समिति को निदेश दिया जाता है कि एक माह के अन्दर प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराये। इस पर माननीय उप मुख्य (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 2/ वन्यप्राणी–19/2020............../प०व०ज०प० **पटना–15, दिनांक** :............

प्रतिलिपि:–ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार के अधिसूचना की दो अतिरिक्त प्रति एवं सी०डी० के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 2/ वन्यप्राणी–19/2020............../प०व०ज०प० **पटना–15, दिनांक** :............

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार/सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 2/ वन्यप्राणी–19/2020............../प०व०ज०प० **पटना–15, दिनांक** :............

प्रतिलिपिः–माननीय उप मुख्य (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन)मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य नियोजना, प्रशिक्षण एवं विस्तार/सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/सभी वन संरक्षक/सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी एवं सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–2/ वन्यप्राणी–19/2020............../प०व०ज०प० **पटना–15, दिनांक** :............

प्रतिलिपिः अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार, पटना सहित समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–2/ वन्यप्राणी–19/2020 1035(ई)/प०व०ज०प० **पटना–15, दिनांक** : 07/09/2020

प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। इसे विभाग के वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।

7/9/2020

(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव